



Neutral Citation No. -2026: AHC:126670

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-19393/2026

तसलीम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: राजेश कुमार, सौरभ कुमार पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध/एफ.आई.आर. संख्या 12/2026, अंतर्गत धारा 70(1), 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रुखाबाद, में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 21.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक तथा अन्य नामजद सह-अभियुक्तों द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तथापि, पीड़िता द्वारा धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिए गए कथन में, पीड़िता ने न तो आवेदक का और न ही अन्य सह-अभियुक्तों का नाम प्रकट किया गया है तथा केवल यह कहा गया है कि पाँच व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिनकी पहचान उसे ज्ञात नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि विवेचक द्वारा कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टी आई पी) आयोजित नहीं कराई गई। यह भी निवेदित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त खुर्शीद एवं जरशीद को, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 27.04.2026 एवं 13.05.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13872/2026 एवं 16209/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त खुर्शीद एवं जरशीद को पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करते हुए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत प्राप्त करने का आधार स्थापित किया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **तसलीम**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो समान प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध का, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके संबंध में उस पर संदेह है, न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(ii) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य की तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहने की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता (समतुल्य धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, उद्घोषणा जारी की जाती है तथा वह उद्घोषणा में निर्दिष्ट तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता (समतुल्य धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर, विशेष रूप से (i) सुनवाई की शुरुआत, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (समतुल्य धारा 351 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026